अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

वादी

1.श्री शांतिलाल पुत्र टीमाजी जाति मीणा निवासी सरदारपुरा (मोरली)तह0 शिवगंज
2.श्री लालाराम पुत्र टीमाजी मीणा के कायम मुकाम
2/1–श्रीमति कीकीबाई पत्नी स्व. लालाराम
2/2–श्रीमति मनीषा पुत्री श्री लालाराम पत्नी नारायणलाल
2/3–दुर्गा पुत्री लालाराम
2/4–अशोक पुत्र लालाराम
2/5–रणछौड पुत्र लालाराम जातियान मीणा निवासीयान–सरदारपुरा तहसील शिवगंज वादी संख्या 2/4 व 2/5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता वादी संख्या 2/1 श्रीमती कीकी बाई बेवा पत्नि स्व. श्री लालारामजी मीणा निवासी सरदारपूरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही है।

विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार शर्मा

बनाम

प्रतिवादीगण

1.श्री मनीषसिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति माली गहलोत, निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान
2.श्री ताराराम पुत्र टीमाजी मीणा
3.खसाराम पुत्र टीमाजी मीणा
4.ओबाराम पुत्र टीमाजी मीणा
जातियान मीणा निवासी सरदारपुरा (मोरली) तहसील शिवगंज
5.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राव
प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
विद्वान अधिवक्ता श्री जयंतिलाल माली,
प्रतिवादी सं. 5 की ओर से

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वाद संख्या 06/2020

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

–::निर्णय/आदेश::–

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.) **दिनांक 01.02.2023**

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा तथा प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वादी ने जरिये अधिवक्ता विरुद्ध प्रतिवादीगण का पेश किया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी श्री मनीष कुमार पुत्र शेरसिंह गहलोत जाति माली निवासी सुमेरपुर जिला पाली की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रोड़ा एक्ट के तहत कार्यालय तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही में वसूली प्रकरण भारतीय स्टेट बैंक शाखा पोसालिया द्वारा बाकीदार टीमा पुत्र मीठा जाति मीणा निवासी सरदारपुरा तहसील शिवगंज में राशि रूपये 1,96,557 व ब्याज के बकाया थे बाकीदार द्वारा राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर भारतीय स्टेट बैंक पोसालिया द्वारा वसूली हेतु प्रकरण रोड़ा एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु तहसीलदार शिवगंज के यहां प्रस्तुत करने पर तहसीलदार शिवगंज के द्वारा रोड़ा एक्ट/पत्रांक 1583–90 दिनांक 31.05.1997 को टीमा पुत्र मीठा जाति मीणा के नाम की खातेदारी भूमि मौजा सरदारपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही में स्थित आराजी खसरा नं. 253 मी व 254 कुल रकबा 43 बीघा 7 बिस्वा भूमि की निलामी किये जाने हेतु निलामी ईश्तीहार जारी किया। परिवादी को उपरोक्त भूमि की निलामी किए जाने की जानकारी मिलने पर निलामी स्थान पर उपस्थित हुआ। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सिरोही की उपस्थिति में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा निलामी ईश्तिहार की अनुपालना में दिनांक 02.07.1997 को 10 बजे तहसील मुख्यालय शिवगंज पर उक्त आराजी की निलामी कार्यवाही प्रारंभ की गई। निलामी प्रकिया विधिवत प्रारम्भ करते हुए निलामी में उपस्थित बोलीदाताओं द्वारा निलामी की शर्तों के अनुसार धरोहर राशि जमा कराई गई। जिसमें 5 बोलीदाता उपस्थित हुए। इसके पश्चात् निलामी [illegible] गई, जिसमें अंतिम बोलीदाता से श्री मनीषसिंह पुत्र शेरसिंह गहलोत निवासी सुमेरपुर [illegible] 1,[illegible]01/– रूपये पर समाप्त की गई। जिसमें अंतिम बोलीदाता श्री मनीषसिंह पुत्र शेरसिंह [illegible]/4 राशि 44,001/– रुपये जरिये रसीद संख्या 353076/71 दिनांक 02.07.1997 [illegible] जमा कराई गई। उपरोक्त निलामी की स्वीकृति श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा आदेश कमांक/बैंक ऋण/व[illegible]810–813 दिनांक 07.08.1997 द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर अंतिम बोलीदाता श्री मनीषसिंह पुत्र शेरसिंह द्वारा शेष राशि रुपये 1,32,000/– रसीद संख्यां 353076/75 दिनांक 17.07.1997 द्वारा जमा कराकर कुल राशि 1,76,001/– रूपये जमा कराई गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा उक्त आराजी की निलामी श्री मनीषसिंह के पक्ष में होने के कारण क्रय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय सिरोही को लिखा गया।

लगातार पेज–2

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात् श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सिरोही द्वारा पत्र कमांक 9(4)29/जिराले/97–98/1583 दिनांक 11.02.1998 के द्वारा केता के हक में राजस्थान कृषि साख परिचालन (कठिनाईयों का निवारण) अधिनियम, 1974 तथा नियम 1976 के तहत कय प्रमाण पत्र जारी कर अन्तिम बोलीदाता श्री मनीषसिंह पुत्र शेरसिंह माली निवासी सुमेरपुर को केता घोषित किया गया। उक्त कय प्रमाण पत्र की पालना में मौजा सरदारपुरा के खसरा नं. 253 रकबा 42–17 बीघा व खसरा नं. 254 रकबा 0.10 बीघा कुल रकबा 43 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार दर्ज किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान सरकार (ग्रुप–4) विभाग के परिपत्र सं. प 5 (42) राजस्व/ग्रुप–4/80 जयपुर दिनांक 01.05.1981 की पालना में कार्यवाही सम्पादित की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बेबुनियाद व नियम विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो सारहीन व विधि द्वारा चलने योग्य नहीं होने एवं पोषणीय नहीं होने से खारीज योग्य है।

वादीगण की ओर से पेश वाद दिनांक 04.03.2020 को दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 08.7.2020 को प्रतिवादी संख्या 04 उपस्थित। व प्रतिवादी संख्यां 05 की ओर से अधिवक्ता श्री जयंतिलाल माली ने उपस्थित होकर अंडरटेकिंग लेकर दिनांक 19.08.2020 को वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्यां 01 की ओर से दिनांक 10.03. 2021 को अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राव ने वकालतनामा पेश किया। वादी अधिवक्ता ने दिनांक 08.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थनापत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया। दिनांक 6.04.2022 को प्रतिवादी संख्यां 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया । दिनांक 04.05.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थनापत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो रीट पीटीशन सी नं0 30 एफ 2020 के आदेश के अनुसार 28.02.2022 तक लिमिटेशन में कोरोना काल के दौरान छूट प्रदान की गई है। इस आधार पर अन्य कोई किसी प्रकार की आपत्ति अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी सं0 2 के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया गया। दिनांक 24.08.2022 को प्रतिवादी सं0 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। व दिनांक 11.01.2023 को वादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। जिस पर दिनांक 18.01.2023 को दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने बहस में बताया है कि वादीगण के पिता के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के संबंध में विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाई गई है। जिसके कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 के विरुद्ध उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। वादीगण के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि की निलामी के संबंध में की गई समस्त प्रकिया विधि विरूद्ध होने से प्रकिया शून्य है। उक्त प्रकिया के परिणामस्वरूप वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से जो खातेदारी दर्ज हुई है जिस हेतु वादीगण ने अपने खातेदारी घोषणा प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जिससे उक्त पदों में वर्णित समस्त कथन विधि विरूद्ध, वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा की डिकी प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है तथा खातेदारी की घोषणा के वाद हेतु कोई म्याद वर्णित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त कथन सर्वथा असत्य व विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार है। ... वादी के पुस्तैनी हक अधिकार की है तथा वादीगण के हक अधिकार के विपरीत ... आदेश निर्णय विधि के विरूद्ध पारित हुआ है तो वह वादीगण के हक अधिकारों ... है। वादीगण को विधि द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार एवं संरक्षण को रक्षित करने हेतु ... माननीय न्याय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः प्रतिवादी संख्या ... माननीय न्यायालय में वाद प्रकिया को लम्बित करने एवं वादीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को भारी हर्ज व खर्चे से खारीज फरमावें। अपनी बहस के समर्थन में 2000AIR(RAJ) असुराम बनाम तहसीलदार सांचोर पृष्ठ 345, 2010(2)DNJ(RAJ) पृष्ठ 663 से 690, 2016(2)DNJ(RAJ), पृष्ठ 532, 2016(2)DNJ(RAJ), पृष्ठ 537 एवं 2017(RAJ) रामसिंह बनाम बलविन्दरसिंह निर्णय दिनांक 07.10.2016 के न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–3

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

प्र0सं. 06/2020
शांतिलाल बनाम मनीषसिंह
अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि रोड़ा एक्ट के तहत कार्यालय तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही में वसूली प्रकरण भारतीय स्टेट बैंक शाखा पोसालिया द्वारा बाकीदार टीमा पुत्र मीठा जाति मीणा निवासी सरदारपुरा तहसील शिवगंज में राशि रूपये 1,96,557/– व ब्याज के बकाया होने से बैंक शाखा द्वारा राज0 कृषि साख परिचालन(कठिनाईयों का निवारण) अधिनियम 1974 एवं नियम 1976 के तहत तहसीलदार शिवगंज के यहां वसूली हेतु प्रकरण दर्ज करवाने पर वादग्रस्त आराजी की निलामी हेतु निलामी ईश्तिहार जारी होने पर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा विधि सम्मत रूप से बोली लगा कर अंतिम रूप से बोली सर्वोच्च होने पर मेरे द्वारा संपूर्ण निलामी राशि 176001/–रूपये जमा कराई गई। उक्त राशि जमा कराने के बाद तहसीलदार शिवगंज द्वारा उक्त आराजी की निलामी मुझ प्रतिवादी सं0 1 श्री मनीषसिंह के पक्ष में होने के कारण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सिरोही द्वारा पत्र कमांक 9(4)29/जिराले/97–98/1583 दिनांक 11.02.1998 के द्वारा मुझ केता के हक में राजस्थान कृषि साख परिचालन (कठिनाईयों का निवारण) अधिनियम, 1974 तथा नियम 1976 के तहत कय प्रमाण पत्र जारी कर अन्तिम बोलीदाता श्री मनीषसिंह पुत्र शेरसिंह माली निवासी सुमेरपुर को केता घोषित किया गया। उक्त कय प्रमाण पत्र की पालना में मौजा सरदारपुरा के खसरा नं. 253 रकवा 42–17 बीघा व खसरा नं. 254 रकबा 0.10 बीघा कुल रकबा 43 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार दर्ज किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान सरकार (ग्रुप 4) विभाग के परिपत्र सं. प 5 (42) राजस्व/ग्रुप 4/80 जयपुर दिनांक 01.05.1981 की पालना में कार्यवाही सम्पादित की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बेबुनियाद व नियम विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो सारहीन व विधि द्वारा चलने योग्य नहीं होने एवं पोषणीय नहीं होने से खारीज योग्य है।

हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन् किया। पत्रावली के संलग्न रेकर्ड, दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर मनन् किया जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार स्व0 श्री टीमा पुत्र मीठाजी जाति मीणा द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर एस.बी.आई. शाखा पोसालिया में ऋण लिया गया और ऋण के आधार पर ऋणीं की भूमि एस.बी.आई. शाखा पोसालिया के नाम रहन इन्द्राज की गई। बाकीदार वादीगण के पिता टीमा पुत्र मिठाजी मीणा द्वारा नियमानुसार बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर सम्बन्धित बैंक द्वारा बकाया राशि वसूल करने के लिये रोड़ा एक्ट के तहत प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार शिवगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रकरण इन्द्राज कर नियमानुसार वसूली कार्यवाही प्रारम्भ कर वादग्रस्त भूमि की निलामी इश्तिहार कार्यालय पत्रांक 1583–90 दिनांक 31.05.1997 के द्वारा जारी किया गया, जिसमें एक माह का समय भी दिया गया था। तत्पश्चात् विवादित भूमि की निलामी कार्यवाही दिनांक 02.07.1997 को प्रातः 10:00 बजे तहसील मुख्यालय शिवगंज पर आयोजित की गई थी और उक्त निलामी बोली में अधिकतम निलामी बोली रूपयें–1,76,001/– श्री मनीष पुत्र शेरसिंहजी गहलोत निवासी सुमेरपूर की रहने के कारण सम्पति उनके पक्ष में घोषित की गई और निलामी की 1/4 राशि रूपये 44001/– अक्षरे चौमालिस हजार एक रूपयें मात्र रसीद संख्या 71 दिनांक 02.07.1997 जमा करवाई गई और शेष राशि 1,32,000/–अक्षरे एक लाख बतीस हजार मात्र रसीद संख्या 75 दिनांक 17.07.1997 द्वारा जमा करवाई गई। उक्त कार्यवाही के आधार पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सिरोही के आदेश क्रमांक 810–813 दिनांक 07.08.1997 के द्वारा निलामी कार्यवाही स्वीकृत की गई थी। तत्पश्चात श्रीमान् जिला कलक्टर सिरोही के द्वारा पत्र क्रमांक एफ.9(4)/29/DRA/97–98/1583 दिनांक 11.02.1998 के द्वारा राजस्थान कृषि साख परिचालन (कठिनाईयों का निवारण) अधिनियम 1974 तथा नियम 1976 के अन्तर्गत कुर्कशुदा निलाम भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 क्रेता घोषित करतें हुए क्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम वादग्रस्त भूमि दायर हुई, जो आदिनांक रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में इन्द्राज है।

न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपनायी गई कुर्की/निलामी/कय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कार्यवाही विधि युक्त है अथवा विधि विरूद्ध ? तथा क्या इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निलामी द्वारा क्रय भूमि की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) प्रदत्त कानुन के विधि विरूद्ध हैं ? इस संबंध में न्यायालय का यह मानना है, कि किसी अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति का व्यक्ति क्रय (खरीद) नहीं कर सकता है। लेकिन तत्समय प्रभावी राजस्थान **सरकार राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5/(42) राजस्व–ग्रुप–4 जयपुर दिनांक 01.05.1981 के अनुसार SC/ST के सदस्यों द्वारा अपने ऋणों का संदाय करने में असफल रहने की दशा में ऋणदात्रि संस्थाओं यथा बैंक, सहकारी समितियों द्वारा अपने बकाया राशियों की वसूली के लिये निलामी द्वारा जनसाधारण को किया जाने वाला विकय राज0 काश्तकारी अधिनियम 42 (ख) का उल्लंघन नहीं माना गया है।**

लगातार पेज–4

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

उपरोक्त परिपत्र के कम में उक्त निलामी प्रकिया तथा उक्त हस्तांतरण को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि तत्समय प्रचलित परिपत्र के अनुसार ही विवादित भूमि की निलामी कार्यवाही हुई थी और प्रतिवादी संख्या 01 को क्रेता घोषित किया जाकर क्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया और इस आधार पर पंजियन भी हुआ होगा। इस प्रकार न्यायालय का यह मानना है कि वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण चलने योग्य नहीं है। वैध पंजीयन दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य हैं क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है, कि रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजात को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं हैं, लेकिन प्रारम्भतः शून्य दस्तावेजात को शून्य व प्रभावहीन घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हैं लेकिन प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा प्रतीत नहीं होता हैं। वादी पक्ष ऐसा कोई सारभूत तथ्य साबित नहीं कर पाया की प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य क्यों नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है, कि उक्त परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है। वादी पक्ष की और से प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान हैं, लेकिन उक्त प्रकरण की प्रकृति पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने व पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता हैं। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे। निर्णय/आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(डॉ नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.02.2023 को जारी किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested